संख्या– /VI/2006–292 पर्य0/2003

प्रेषक,

सतोष बडोनी
अनुसचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
उत्तरांचल, देहरादून ।

पर्यटन अनुभागः देहरादून दिनांक 22 मार्च, 2006

विषयः जिला योजना 2005–2006 के अधीन पर्यटक स्थलों का सौन्दर्यीकरण तथा सुविधाओं हेतु अवशेष धनराशि का धनावंटन के सम्बंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–17/VI/2006–3(33)2005 टी0सी0–II,दिनांक 28 जनवरी,2006 तथा शासनादेश संख्या–816 /प0अ0/ 2003–292 पर्य0/2003,दिनांक 22 मार्च,2003 एवं आपके पत्र संख्या–665/2–6– 215 /05–06 दिनांक 06मार्च, 2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2003–2004 में स्वीकृत/अनुमोदित धनराशि रू0 15.73 लाख (रूपये पन्द्रह लाख तिहत्तर हजार मात्र) के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2003–2004 में स्वीकृत धनराशि रू0 8.00 (रूपये आठ लाख मात्र) के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2005–06 में सम्पूर्ण अवशेष धनराशि रू0 7.73 लाख (रूपये सात लाख तिहत्तर हजार मात्र) की धनराशि को निम्न विवरणानुसार श्री राज्यपाल महोदय व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना की स्वीकृति लागत	वित्तीय वर्ष 2003–04 में स्वीकृत की गई धनराशि	अवशेष धनराशि	निर्माण ईकाई
	जनपद–हरिद्वार				
1	उत्तरांचल शहीद स्मारक का सौ0/विकास	5.87	3.00	2.87	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा,हरिद्वार।
2	पिरान कलियर में सौन्दर्यीकरण एवं विकास कार्य के अन्तर्गत यात्री शेड का निर्माण।	9.86	5.00	4.86	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा,हरिद्वार।
	योग	15.73	8.00	7.73	

(रूपये सात लाख तिहत्तर हजार मात्र)

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है और ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर के ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3–उपरोक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय उपरोक्त शासनादेश में इंगित शर्तो के अधीन किया जायेगा।

4–उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि स्वीकृत कार्य/योजना का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी कार्य स्थल पर इस आशय का एक साईनेज स्थापित करेगा कि उक्त कार्य पर्यटन विभाग के सौजन्य से किया गया है एवं साईनेज पर पर्यटन विभाग का लोगो सहित कार्य का विवरण भी इंगित

कर दिया जायेगा। सम्बन्धित जिला पर्यटन विकास अधिकारी निर्माण कार्य का भौतिक निरीक्षण कर कार्य पूर्ण होने की सूचना एवं योजना का फोटोग्राफ्स भी यथा समय शासन को उपलब्ध करायेंगे।

5–उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–2006 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक –5452–पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्वर्धन तथा प्रचार–91–जिला योजना 07–पर्यटक स्थलों का सौन्दर्यीकरण तथा सुविधायें– 42– अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।

संख्या–341 (1)VI/2006–292 पर्य0/2003 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3–आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
4– जिलाधिकारी, हरिद्वार ।
5– निजी सचिव,मा0 मुख्यमंत्री जी,उत्तरांचल शासन।
6– निजी सचिव,मा0 पर्यटन मंत्री जी,उत्तरांचल शासन।
7– जिला पर्यटन विकास अधिकारी हरिद्वार ।
8– वित्त अनुभाग–2,
9– श्री एल0एम0पन्त, अपर सचिव वित्त ।
10–अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
11–एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय परिसर।
12–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।